विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंलगवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
18 (क)	क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में श्रेणी ''ग'' एवं ''घ'' के कितने कर्मचारी अपनी वरिष्ठता सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करके ए0सी0पी0 (सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन) स्वीकृत करने पर विचार करने हेतु दिनांक 01.01.2022 को अर्ह हो गये थे ?	वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के अनुसार राज्य कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त शासनादेश के अनुसार 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की संतोषजनक नियमित सेवा पर क्रमशः प्रथम ए0सी0पी0, द्वितीय ए0सी0पी0 एवं तृतीय एस0सी0पी0 देय है, जिसके अर्हता का निर्धारण सेवाभिलेखों के आधार पर उक्त शासनादेश के अनुसार एतदर्थ गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। उक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिकों की ए0सी0पी0 के लिए अर्हता का परीक्षण स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए जाने के उपरान्त संख्या दिया जाना संभव होगा।
(ख)	उक्त कर्मियों में से वर्ष 2022 में हुई ए0सी0पी0 समिति की बैठक में कितने कर्मियों के नामों पर विचार किया गया एवं कितने कर्मियों पर विचार नहीं किया गया ?	वर्ष 2022 में ए0सी0पी0 के प्रकरणों पर विचार किए जाने हेतु एतदर्थ गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य सम्पत्ति संवर्ग के समूह ''ग'' के कुल 92 कार्मिकों पर विचार किया गया। उक्त 92 कार्मिकों में से उपयुक्त पाए गए 46 कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराया गया। समूह ''ग'' के 01 कार्मिक का प्रकरण स्थगित है। वर्ष 2022 में ए0सी0पी0 के प्रकरणों पर विचार किए जाने हेतु एतदर्थ गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य सम्पत्ति संवर्ग के समूह ''घ'' के कुल 103 कार्मिकों पर विचार किया गया। उक्त 103 कार्मिकों में से उपयुक्त पाए गए 80 कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराया गया।
(ग)	क्या उक्त शेष कर्मियों को ए0सी0पी0देने पर विचार करेंगे ?	हॉ।
(घ)	यदि हॉ, तो कब तक ?	यथासमय, यथानियम।
(ङ)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मा0 मुख्यमंत्री।